

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :-यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान:-प्रार्थना पत्र संख्या 16/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर (राज.)वादी

बनाम

1. बलिस्टरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.9 जैड़ तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. केहरसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख सा.9 जैड़ तहसील व जिला श्री गंगानगर
3. गुरदयालसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति जटसिख सा.9 जैड़ तहसील व जिला श्री गंगानगरप्रतिवादी

--:उपस्थित:--

1. पैरोकार राज

.....प्रार्थी

--:निर्णय:--

10 जुलाई 2018

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार (राजस्व) श्री गंगानगर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व आधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कि गयी है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि:-

रेस्पोडेन्टस के चक 9 जैड़ पटवार मण्डल 9 जैड़ तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता स.43 के मु.न. 1में 6.323 मु.न.10 में 4.277 है. मु.न.12 में 2.303 है. मु.न.13 में .392 है. कुल 13.295 है. बाग/नहरी मय खाला भूमि- बलिस्टरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 5.779 है. केहरसिंह पुत्र हरनामसिंह 0.076 है. गुरदयालसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 7.612 है.कौम जटसिख सा.देह वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज है राहिन-जमाबन्दी बदस्तूर

रेस्पोडेन्टस के खाते में नामान्तरण स.16 दिनांक 20.11.78 द्वारा मु.न.1 किला न.25 में.002 है. मु.न.10 के किला न.5-6-15-16 प्रत्येक में .025 मु.न.12 किला न. 1में .025 व 2 में .025 मु.न.13 किला न. 21में .025 कुल .177 है गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया। परन्तु कास्तकारो के हिस्से को कम नहीं किया गया और न ही खातेदारो के हिस्सो का मिलान किया गया । जो 0.177 है. का अन्तर आज दिनांक तक चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किया गया । नोटिस बाद तामिल पत्रावली में शामिल किये गये। प्रतिवादी को "राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018" केम्प में उपस्थित आने हेतु पटवारी हल्का द्वारा पाबन्द किया गया। प्रतिवादी राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं आए।

आवेदन पत्र पर युक्तियुक्त विचारणोंपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का आवलोकन किया जाकर प्रास्तुत बहस का मनन किया। पटवारी हल्का 9 जैड़ व भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जा कर चक 9 जैड़ पटवार मण्डल 9 जैड़ खाता स. 43 के मु.न. 1-10-12-13 कुल 13.295 है. बाग/नहरी मय खाला भूमि- बलिस्टरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 5.705 है. केहरसिंह पुत्र हरनामसिंह 0.075 है.गुरदयालसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 7.515 है. कौम जटसिख राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

--:आदेश:--

फलस्वरूप अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है कि जाकर कर चक 9 जैड़ पटवार मण्डल 9 जैड़ खाता स. 43 के मु.न.1-10-12-13 कुल 13.295 है. बाग/नहरी मय खाला भूमि- बलिस्टरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 5.705 है.केहरसिंह पुत्र हरनामसिंह 0.075 है.गुरदयालसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 7.515 है. कौम जटसिख राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। राहिन- बदस्तूर

निर्णय खुले न्यायलयत में आज दिनांक 10 जुलाई 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(यशपाल आहुजा)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर